मिसिल संख्या 11014/1/2008-डब्ल्यू.3

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

****

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

14 मार्च, 2009

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: - सामान्य पूल रिहायशी आवास में परिवर्धन/परिवर्तन।

1. अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश दिया जाता है कि इस मंत्रालय के दिनांक 19 फरवरी, 2004 और 20 फरवरी, 2004 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28012/1/2003-डब्ल्यूआई के तहत, दख़लकार के अनुरोध पर सामान्य पूल रिहायशी आवास में गैर-संरचनागत परिवर्धन/परिवर्तन करने और रिहायशी क्वार्टरों के खाली किए जाने पर ये सुविधाएं प्रदान करने और दख़ल वाले क्वार्टरों के संबंध में आबंटियों द्वारा लागत के आंशिक भुगतान पर भी गैर-संरचनागत परिवर्धन/परिवर्तन करने का प्रावधान है।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, संबंधित आबंटियों की सहमति से क्वार्टरों की संख्या के क्रमानुसार, सभी सामान्य पूल रिहायशी आवासों के साथ ही अन्य पूलों के क्वार्टरों में, जिनका रख-रखाव, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, चाहे वे दख़ल में हों अथवा खाली हों (टाइप-I क्वार्टरों को छोड़कर) में विनिर्धारित सुविधाएं प्रदान की जाएं। टाइप-I क्वार्टरों के संबंध में अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

3. परिवर्धन/परिवर्तन की अनुमेय सिविल और इलेक्ट्रिकल मदों/निर्माण-कार्यों की सूची **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

4. परिवर्धन/परिवर्तन की ऐसी सिविल और इलेक्ट्रिकल मदों/निर्माण-कार्यों की सूची, जिनका आबंटियों के अनुरोध पर और आबंटी द्वारा निर्माण-कार्य की लागत के विनिर्धारित प्रतिशत के भुगतान पर निष्पादन किया जा सकता है, में संशोधन किया गया है और यह सूची अनुबंध-II पर दी गई है।

जारी..2/-

5. परिवर्धन/परिवर्तन का ऐसा कोई अन्य कार्य नहीं किया जाएगा जिससे आबंटित क्वार्टरों में संरचनागत परिवर्तन होता है। इस संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का निर्णय अंतिम होगा कि किसी आबंटी द्वारा जिस परिवर्धन/परिवर्तन का अनुरोध किया गया है, उसकी प्रकृति संरचनागत है अथवा नहीं।

6. निर्धारित विनिर्देश के अनुसार, किसी आवास में परिवर्धन/परिवर्तन का निर्माण-कार्य, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को आवास का दखल सौंपे जाने की तारीख से अधिकतम दो माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

7. यह ज्ञापन उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में उल्लेखित कार्यालय ज्ञापन सहित सभी पूर्व अनुदेशों को अधिक्रमण करते हुए और समेकित वित्त प्रभाग के दिनांक 01/01/2008 के डायरी सं. 02-एफ की सहमति में जारी किया गया है।

हस्ताक्षर/-

(सूरत सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. भारतीय महालेखाकार (सीएजी), बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. महासचिव, राज्यसभा/लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक (निर्माण), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
5. संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
6. संपदा निदेशक, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, शहरी विकास मंत्री, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, शहरी विकास, नई दिल्ली।
3. प्रधान निजी सचिवन सचिव (शहरी विकास)/सचिव (शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन), शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय नई दिल्ली।
4. शहरी विकास मंत्रालयन नई दिल्ली के सभी संयुक्त सचिव/निदेशक/उपसचिव/अवर सचिव।
5. शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के सभी डेस्क/अनुभाग।

जारी..3/-

						अनुबंध- I
खाली और दख़ल वाले क्वार्टरों में उन्नयन हेतु विनिर्धारित विनिर्देशन (नि:शुल्क)						
क्र.सं.	**मद का विवरण**					
		प्रकार II	**प्रकार III**	**प्रकार IV**	**प्रकार V**	**प्रकार VI**
1.0	**क. <u>सिविल निर्माण-कार्य</u>**					
	<u>रसोईघर</u>					
	1.1 सामान्य:					
	1.1.1 चिमनी हटाना, जहां लगी हो।	Y	Y	Y	Y	Y
	1.1.2 रसोईघर के काउंटर के नीचे अलमारी के शटर अथवा अलमारी में निर्मित शेल्व्स को ढकना, जहां कंक्रीट/पत्थर के शेल्व्स नहीं हैं (गैस के क्षेत्र को छोड़कर) (ये मदें अनुमोदित और निदर्शन डिजाइन के अनुसार निष्पादित की जाएंगी)	Y	Y	Y	X	X
	1.1.3 रसोईघर के काउंटर के नीचे अलमारी के शटर अथवा अलमारी में निर्मित शेल्व्स को ढकना, जहां कंक्रीट/पत्थर के शेल्व्स नहीं हैं (गैस के क्षेत्र को छोड़कर) और सिर से ऊपर कैबिनेट (मटमैला/धूसर शेड में पूर्व लेमिनेटेड बोर्ड) (ये मदें अनुमोदित और निदर्शन डिजाइन के अनुसार निष्पादित की जाएंगी)	X	X	X	Y	Y
	1.1.4 वाटर प्योरिफायर और गीजर के लिए नलसाजी।	Y	Y	Y	Y	Y
	1.1.5 छत पर अतिरिक्त टैंक मुहैया कर 300 लीटर प्रति डीयू तक जल भंडारण क्षमता में बढ़ोत्तरी। यदि यह संभव न हो, तो किचन और शौचालयों में कनेक्टेड नलसाजी के कार्य सहित 100/150 लीटर क्षमता का लोफ्ट टैंक।	Y	Y	Y	Y	Y
	1.2 रसोईघर में सिंक:					
	1.2.1 जल निकासी बोर्ड रहित स्टेनलेस स्टील से निर्मित रसोईघर सिंक।	Y	Y	Y	X	X
	1.2.2 जहां संभव हो, जल निकासी बोर्ड सहित स्टेनलेस स्टील से निर्मित रसोईघर सिंक।	X	X	X	Y	Y
	1.3 पेनल:					
	1.3.1 कार्य करने के प्लेटफार्म के ऊपर और उसके आस-पास 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक और रसोईघर के सिंक से नीचे सफेद रंग की चमकीली टाईलें	Y	Y	Y	X	X

	(8"x12" आकार)।					
	1.3.2 रसोईघर में प्लेटफार्म के ऊपर और ऊपरी सतह के आस-पास एवं रसोईघर में लगे सिंक के नीचे ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर, जहां निर्मित अलमारियां लगी हों, 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक और सफेद रंग की चमकीली टाईलें (8"x12" आकार)।	X	X	X	Y	Y
	1.4 कार्य करने के लिए ऊपरी सतह:					
	1.4.1 हरे रंग का संगमरमर- पहले से कोने से गोलाकार, पॉलिश किया हुआ।	Y	Y	Y	X	X
	1.4.2 ग्रेनाईट- पहले से कोने से गोलाकार, पॉलिश किया हुआ।	X	X	X	Y	Y
	1.5 फर्श बिछाना:					
	1.5.1 सिरेमिक फ्लोर टाईल्स (आकार 12"x12" मैटफिनिश), मौजूदा फर्श पर टाईल्स बिछाना।	Y	Y	Y	X	X
	1.5.2 परिष्कृत सिरेमिक फ्लोर टाईल्स (आकार 16"x16" मैटफिनिश), मौजूदा फर्श पर टाईल्स बिछाना।	X	X	X	Y	Y
2.0	**<u>शौचालय और स्नानागार:</u>**					
	2.1 वॉश बेसिन और दर्पण:					
	2.1.1 उपलब्ध स्थान के अनुसार उपयुक्त स्थान पर एक पिलर टेप युक्त वॉश बेसिन।	Y	Y	Y	X	X
	2.1.2 पीटीएमटी फ्रेम वाला लुकिंग फ्रेम और एडोनाइज्ड एल्युमिनियम फ्रेम वाला एक ग्लास सेल्फ।	Y	Y	Y	X	X
	2.1.3 व्यवहार्यता के अनुसार, स्नानागार में एडोनाइज्ड एल्युमिनियम की खूंटियां/तौलिया लटकाने वाली रिंग (1)	Y	Y	Y	X	X
	2.1.4 स्नानागार में सीपी ब्रास खूंटियां और तौलिया रखने की छड़, सीपी ब्रास मिक्सर टेप युक्त वॉश बेसिन में तौलिया रखने की खूंटी (अधिमानत: एक लिवर)	X	X	X	Y	Y
	2.1.5 पीटीएमटी फ्रेम वाला लुकिंग फ्रेम और वॉश बेसिनों पर स्टीनलेस स्टील/सीपी ब्रास फ्रेम युक्त ग्लास सेल्फ।	X	X	X	Y	Y

	2.1.6 गीजर लगाना	Y	Y	Y	Y	Y
	2.2 फर्श बिछाना और पेनल:					
	2.2.1 फर्श बिछाना					
	2.2.1.1 अनुमोदित डिजाइन की सिरेमिक फ्लोर टाईल्स (आकार 12"x12" मैट फिनिश)।	Y	Y	Y	X	X
	2.2.1.2 अनुमोदित डिजाइन की परिष्कृत सिरेमिक फ्लोर टाईल्स (आकार 16"x16" मैट फिनिश)।	X	X	X	Y	Y
	2.2.1.3 संयुक्त शौचालय में शॉवर क्षेत्र में 100 मिमी. ऊंचा और 100 मिमी. चौडा पहले से फिनिश्ड/पहले से पॉलिश की हुई ग्रेनाइट की दहलीज	X	X	X	Y	Y
	2.3 पेनल					
	2.3.1 डोर इंटेल स्तर तक सिरेमिक की सफेद चमकीली टाईल (न्यूनतम आकार 8"x12")	Y	Y	Y	Y	Y
3.0	**<u>शयन कक्ष / बैठक</u>**					
	3.1 कमरों और आंतरिक क्षेत्रों में फर्श बिछाना-					
	3.1.1 अनुमोदित डिजाइन वाली धूसर/मटमैले रंग की सिरेमिक फ्लोर टाईल (आकार 12"x12" मैट फिनिश)।	Y	Y	Y	X	X
	3.1.2 अनुमोदित डिजाइन वाली परिष्कृत धूसर/मटमैले रंग की सिरेमिक फ्लोर टाईल (आकार 12"x12" मैट फिनिश)।	X	X	X	Y	Y
4.0	**सामान्य आवाजाही क्षेत्र और सीढ़ियां-**					
	4.1 कोटा पत्थर का फर्श और इससे मेल खाती किनारी। सीढ़ियों में, पूर्व में कोनों को गोलाकार किए पहले से तैयारशुदा कोटा स्टोन स्लैब का प्रयोग किया जाएगा।	Y	Y	Y	Y	Y
	किनारी के ऊपर, किनारों पर हरे संगमरमर से गोलाकार सहित, 120 सेमी. आकार तक 12"X12" की हरे धूसर/ हल्के हरे रंग की सिरेमिक टाइल की पेनल	Y	Y	Y	Y	Y
5.0	**अन्य जुड़नार और सुविधाएं:-**					
	5.1 मुख्य प्रवेश द्वार पर मैजिक आई।	Y	Y	Y	Y	Y
	5.2 परदे की छड़, ब्रेकेट सहित।	Y	Y	X	X	X

	5.3 ड्रेपरी की छड़, ब्रेकेट सहित।	X	X	Y	Y	Y
	5.4 मानक आरेखों के अनुसार, शयनकक्षों में निर्मित अलमारियां, जहां पहले अलमारियां मुहैया नहीं कराई गई थीं। जहां इसके लिए खाली जगह उपलब्ध होगी, इसे अनुमोदित आरेखों के अनुसार, निर्मित अलमारी से कवर किया जाएगा। यदि मौजूदा कंक्रीट/पत्थर की शेल्वस वाली ऐसी खाली जगह हैं, केवल लकड़ी के बने फ्रेम वाले अलमारी के शटर मुहैया कराए जाएंगे।	Y	Y	Y	Y	Y
	5.5 एम. एस. विंडो सैक्शन का उपयोग करते हुए बरामदे/बॉलकोनी में शीशे लगाना। (अनुमोदित डिजाइन के अनुसार किया जाना है), यदि आबंटी द्वारा इसका पूर्व में अनुरोध किया गया हो।	Y	Y	Y	X	X
	5.6 बरामदे/बॉलकोनी में शीशे लगाना, मेल खाते रंगत के पाउडर की परत वाले एल्युमिनियम सेक्शन सहित। (अनुमोदित डिजाइन के अनुसार किया जाना है), यदि आबंटी द्वारा इसका पूर्व में अनुरोध किया गया है।	X	X	X	Y	Y
	5.7 कठोर लकड़ी/एलवीएल वाली खिड़कियों में वॉयर गॉज शटर।	Y	Y	Y	X	X
	5.8 दूसरी श्रेणी की इमारती लकड़ी वाली खिड़कियों में वॉयर गॉज शटर।	X	X	X	Y	Y
6.0	**आंतरिक सज्जा:-**					
	6.1 सभी दीवारों व सीलिंग में ऑयल बाउंड डिस्टेंपर के बाद 2 मिमी. मोटी पीओपी (केवल एक बार) की जाएगी। लकड़ी और स्टील के सभी कार्यों पर सिंथेटिक एनेमेल पेंट।	Y	Y	Y	X	X
	6.2 सभी दीवारों व सीलिंग में प्लास्टिक इमल्शन पेंट के बाद 2 मिमी. मोटी पीओपी (केवल एक बार) की जाएगी। लकड़ी और स्टील के सभी कार्यों पर सिंथेटिक एनेमेल पेंट।	X	X	X	Y	Y
	ख. इलेक्ट्रिकल कार्य					
1.0	1.1 पावर प्वाइंट्स (15 एंपीयर 6 - पिन) (संख्या)	3	4	5	6	7
	1.2 पावर प्वाइंट्स (15 एंपीयर 6 - पिन) सर्वेंट क्वार्टर और गैराज, जहां उपलब्ध हों (संख्या)	X	X	X	1	1
	1.3 पावर सॉकेट (डीपी-एमसीबी टाइप), एयर कंडीशनर/गीजर के लिए (संख्या)	1	1	2	4	5
2.0	**छत के पंखे (संख्या)**	Y	Y	Y	Y	Y

	2.1 बालकॉनी/बरामदे में अतिरिक्त छत का पंखा प्रदान किया जाना है।	Y	Y	Y	Y	Y
	2.2 बालकॉनी/बरामदे में अतिरिक्त छत का पंखा प्रदान किया जाना है।	Y	Y	Y	Y	Y
3.0	**3.1 फ्लोरसेंट लाइट फिटिंग्स** (ट्यूब लाइटस और स्टार्टर को छोड़कर) (संख्या में)	Y	Y	Y	Y	Y
	3.2 सर्वेंट क्वार्टर/गैराज (1)	Y	Y	Y	Y	Y
4.0	4.1 प्रकाश, पंखे, घंटी सहित इलेक्ट्रिकल प्वाइंट्स और 5 एंपीयर के प्वाइंट्स (संख्या में)	Y	Y	Y	Y	Y
5.0	**<u>अन्य</u>**	Y	Y	Y	Y	Y
	5.1 एक डोर कॉल बैल	Y	Y	Y	Y	Y
	5.2 मुख्य आवास से सर्वेंट क्वार्टर तक और मुख्य द्वार के पिलर (जहां मौजूद हो) से क्वार्टर तक एक कॉल बैल प्वाइंट	Y	Y	Y	Y	Y
	5.3 रिसेस्ड कंड्यूट वायरिंग।	Y	Y	Y	Y	Y
	5.4 भूतल में सीढ़ियों के प्रवेश से प्रथम तल के क्वार्टरों तक कॉल बैल, जहां सीढियों के प्रवेश पर ग्रिल डोर लगाया गया है।	Y	Y	Y	Y	Y
	5.5 रसोईघर और शौचालयों में फ्रेश एयर फैन (1)	Y	Y	Y	Y	Y
	5.6 आवाजाही के सामान्य क्षेत्रों/सीढियों में टयूबलाईट युक्त टयूब लाईट फिटिंग/सीएफएल सहित सीएफएल फिटिंग।	Y	Y	Y	Y	Y
	5.7 केबल टीवी प्वाइंट (संख्या में)	Y	Y	Y	Y	Y
	5.8 टेलीफोन प्वाइंट्स (संख्या में)	Y	Y	Y	Y	Y

अनुबंध- II

अनुमानित लागत के भुगतान के आधार पर कार्य की मदें
(उन्नयन निर्माण-कार्यों में पहले से शामिल मदों से इतर शेष मदें)

<u>क. सिविल निर्माण-कार्य</u>

(i) वे मदें, जिनके लिए आबंटियों से अनुमानित लागत का 10% प्रभारित किया गया है:

- परिसर के आस-पास के क्षेत्रों में अनुमोदित विधि के अनुसार, उपयुक्त सामग्री से खडंजा तैयार करना।

नोट: इन क्षेत्रों पर खडंजा, रंग बिरंगी टाईलों अथवा सपाट सीमेंट कंक्रीट अथवा सी.सी. किनारों सहित इंटरलॉकिंग ब्लॉक से बिछाया जाएगा।

(ii) ऐसी मदें, जिनके लिए, आबंटियों से अनुमानित लागत का 100% प्रभार लिया जाएगा:

- भारतीय डब्ल्यूसी को यूरोपीय डब्ल्यूसी में और यूरोपीय डब्ल्यूसी को भारतीय डब्ल्यूसी में बदलना। (किसी भी आवंटी के लिए यह एक बार नि:शुल्क होगा)

नोट: टाईल हटाने, बिछाने, सज्जा आदि से संबंधित सभी लागतें, भारतीय डब्ल्यूसी को यूरोपीय डब्ल्यूसी में और यूरोपीय डब्ल्यूसी को भारतीय डब्ल्यूसी बदलने में शामिल की जाएंगी।

<u>ख. इलेक्ट्रिकल कार्य</u>

(i) ऐसी मदें, जिनके लिए, आबंटियों से अनुमानित लागत का 10% प्रभार लिया जाएगा:

- अतिरिक्त पावर प्लग प्वाइंट्स/लाईट प्लग प्वाइंट्स/लाईट प्वाइंट्स।

नोट: अतिरिक्त प्वाइंट केवल वहीं लगाए जाएंगे, जहां इलेक्ट्रिक लोड के अनुसार, व्यवहार्य हैं।

(ii) ऐसी मदें, जिनके लिए, आबंटियों से अनुमानित लागत का 100% प्रभार लिया जाएगा:

- फैंसी लाइट फिटिंग।
- फीडर पिलर से क्वार्टर तक केबल बदलना, यदि क्वार्टर में लोड में बढोत्तरी के कारण अपेक्षित है।

मिसिल संख्या 11014/1/2008-डब्ल्यू.3

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

(निर्माण प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 22 अप्रैल, 2008

शुद्धिपत्र

विषय: - सामान्य पूल रिहायशी आवास में परिवर्धन/परिवर्तन।

दिनांक 14.3.2008 के समसंख्यक कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मद सं. 5.8 के उपरांत मद सं. 5.9 और 5.10 के रूप में शीर्षक ''क- सिविल निर्माण-कार्य'' और उप-शीर्ष ''5- अन्य जुड़नार और सुविधाएं'' के तहत निम्नलिखित मदें अंतर्विष्ट की जाएंगी:-

खाली और दख़ल वाले क्वार्टरों में उन्नयन हेतु विनिर्धारित विनिर्देशन (नि:शुल्क)						
	मद का विवरण	**प्रकार II**	**प्रकार III**	**प्रकार IV**	**प्रकार V**	**प्रकार VI**
	"5.9 प्रमुख प्रवेश द्वार पर वॉयर गॉज शटर। यह अनुमोदित डिजाइन के अनुसार ग्रिलों व वॉयर गॉज से एमएस टयूब/एंगल ऑयरन से बनाया जाएगा। बालकॉनी के मामले में, दरवाजे के लिए वॉयर गॉज शटर केवल उन क्वार्टरों में लगाए जाएंगे जिनमें बालकॉनी कवर नहीं हैं।	Y	Y	Y	Y	Y
	5.10 लोहे के दरवाजे से प्री-कोटेड चैन लिंक फेंसिंग, जहां व्यवहार्य हो। प्री-कोटेड चैन लिंक फेंसिंग की ऊंचाई, भूमितल से 30 सेमी. ऊंची परमानेंट फिनिश वाली दीवार के ऊपर 90 सेमी. तक की जाएगी। (क्वार्टर के आस-पास का क्षेत्र, स्थान की स्थिति के अनुसार, और अनुमोदित एकसमान विधि से उपयुक्त सौंदर्य और ऊपरी तलों के क्वार्टरों की पार्किंग के लिए निर्धारित/सीमित किया जाएगा।"	Y	Y	Y	Y	Y

टिप्पणीः हां के लिए 'Y'

हस्ताक्षर/-

(सूरत सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. भारतीय महालेखाकार (सीएजी), बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. महासचिव, राज्यसभा/लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक (निर्माण), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
5. संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
6. संपदा निदेशक, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, शहरी विकास मंत्री, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, शहरी विकास, नई दिल्ली।
3. प्रधान निजी सचिव, सचिव (शहरी विकास)/सचिव (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय नई दिल्ली।
4. शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के सभी संयुक्त सचिव/निदेशक/उपसचिव/अवर सचिव।
5. शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के सभी डेस्क/अनुभाग।

मिसिल संख्या 11014/1/2009-डब्ल्यू.3

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक 12 अक्टूबर, 2009

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: - सामान्य पूल रिहायशी आवास, टाईप- I में परिवर्धन/परिवर्तन।

यह उल्लेख किया जाता है कि टाइप-II से टाइप-IV के क्वार्टरों में परिवर्धन/परिवर्तन के मानदण्ड पहले से ही मौजूद हैं और टाइप-I के क्वार्टरों में परिवर्धन/परिवर्तन के मानदण्ड तय करने की मांग भी की जाती रही है। अब यह निर्णय लिया गया है कि निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, संबंधित आबंटियों की सहमति से क्वार्टरों की संख्या के क्रमानुसार, सामान्य पूल रिहायशी आवास के टाइप-I क्वार्टरों में नि:शुल्क विनिर्धारित सुविधाएं प्रदान की जाएं। विशेष मामलों में, मुख्य अभियंता, लिखित में कारण दर्ज करने के उपरांत, बिना बारी के आधार पर क्वार्टरों के स्वस्थाने उन्नयन की अनुमति दे सकता है। परिवर्धन/परिवर्तन की अनुमेय सिविल और इलेक्ट्रिकल मदों/ निर्माण-कार्यों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

2. परिवर्धन/परिवर्तन का ऐसा कोई अन्य कार्य नहीं किया जाएगा जिससे आबंटित क्वार्टरों में संरचनागत परिवर्तन होता है। इस संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का निर्णय अंतिम होगा कि किसी आबंटी द्वारा जिस परिवर्धन/ परिवर्तन का अनुरोध किया गया है, उसकी प्रकृति संरचनागत है अथवा नहीं।

3. निर्धारित विनिर्देश के अनुसार, किसी आवास में परिवर्धन/परिवर्तन का निर्माण-कार्य, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को आवास का दखल सौंपे जाने की तारीख से अधिकतम 30 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

हस्ताक्षर/-

(सूरत सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. भारतीय महालेखाकार (सीएजी), बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. महासचिव, राज्यसभा/लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक (निर्माण), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
5. संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
6. संपदा निदेशक, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, शहरी विकास मंत्री, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, शहरी विकास, नई दिल्ली।
3. प्रधान निजी सचिव, सचिव (शहरी विकास)/सचिव (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, अपर सचिव (शहरी विकास), नई दिल्ली।
5. शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के सभी संयुक्त सचिव/निदेशक/उपसचिव/अवर सचिव।
6. शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के सभी डेस्क/अनुभाग।
7. निदेशक (एनआईसी) को मंत्रालय की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।

	अनुबंध
टाइप-I के सामान्य पूल रिहायशी आवास क्वार्टरों के उन्नयन हेतु विनिर्धारित विनिर्देशन (नि:शुल्क)	
क्र.सं.	**मद का विवरण**
	क. <u>सिविल निर्माण-कार्य</u>
1.0	**<u>रसोईघर</u>**
	1.1 सामान्य:
	1.1.1 चिमनी हटाना, जहां लगी हो।
	1.1.2 रसोईघर और प्रसाधनों में कनेकटेड नज-साजी कार्य सहित अतिरिक्त लोफ्ट टैंक प्रदान कर प्रति डीयू 1500 लीटर की जल भंडारण क्षमता का परिवर्धन
	1.2 रसोईघर में सिंक:
	1.2.1 रसोईघर में जल निकासी बोर्ड रहित सिरेमिक सिंक।
	1.3 पेनल:
	1.3.1 कार्य करने के प्लेटफार्म के ऊपर और उसके आस-पास 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक और रसोईघर के सिंक से नीचे चमकीली टाईलें (8"x8" आकार)।
	1.4 ऊपरी सतह:
	1.4.1 हरे रंग का संगमरमर- पहले से कोने से गोलाकार, पॉलिश किया हुआ।
	1.5 फर्श:
	1.5.1 सिरेमिक फ्लोर टाईल्स (8"x8" आकार मैटफिनिश), मौजूदा फर्श पर टाईल्स बिछाना।
2.0	**<u>शौचालय और स्नानागार:</u>**
	2.1 वॉश बेसिन और दर्पण:
	2.1.1 उपलब्ध स्थान के अनुसार उपयुक्त स्थान पर एक पिलर टेप के साथ एक वॉश बेसिन।
	2.1.2 गीजर लगाना।
	2.2 फर्श बिछाना और डीएडीओ:
	2.2.1 फर्श बिछाना
	2.2.1.1 अनुमोदित डिजाइन वाली सिरेमिक फ्लोर टाईल(8"x8" आकार मैटफिनिश)।
	2.2.1.2 पेनल- दरवाजे के निर्मित स्तर तक सफेद सिरेमिक की चमकीली टाईल (8"x8" आकार मैटफिनिश)।
3.0	**<u>शयनकक्ष/बैठक</u>**
	3.1 कमरों व आंतरिक क्षेत्रों में फर्श बिछाना
	3.1.1 अनुमोदित डिजाइन वाली धूसर/मटमैला रंग की सिरेमिक फ्लोर टाईल(8"x8" आकार मैटफिनिश)।
4.0	**<u>सामान्य आवाजाही क्षेत्र और सीढ़ियां-</u>**
	4.1 सामान्य आवाजाही क्षेत्र में कोटा पत्थर का फर्श और इससे मेल खाती किनारी। सीढ़ियों में, पूर्व में कोनों को गोलाकार किए पहले से तैयारशुदा एक पीस वाले कोटा स्टोन स्लैब।
5.0	**<u>अन्य जुड़नार और सुविधाएं:-</u>**
	5.1 पर्दे की रॉड, ब्रेकिट सहित।
	5.2 खिड़कियों के लिए, स्टील के पुर्जों सहित वॉयर गॉज।
6.0	**<u>आंतरिक सज्जा</u>**
	6.1 कलर वॉश के बाद सभी दीवारों और सीलिंग की मरम्मत (केवल एक बार)। लकड़ी और स्टील के सभी कार्यों पर सिंथेटिक एनेमल पेंट।
	ख. **<u>इलेक्ट्रिकल कार्य</u>**
1.0	1.1 रसोईघर और शयनकक्ष, दोनों में से प्रत्येक में एक पावर प्वाइंट (डीपी-एमसीबी टाइप), कुल दो पावर प्वाइंट।
2.0	2.1 रसोईघर और डब्ल्यूसी के लिए एक वातायन पंखे- कुल दो पंखे।